NCCOEEE क्यों बिजली संशोधन विधेयक – 2022

का विरोध कर रहा है?

- परिप्रेक्ष्य में मौलिक अंतर।
- अब भारत सरकार बिजली को वस्तु के रूप में मान रही है ,जबकि हम इसे आवश्यक सेवा मानते हैं।
- आजादी के बाद से प्रमुख राष्ट्रीय नेता बिजली को सामाजिक-आर्थिक सेवा के रूप में मानते आये हैं।
- बिजली क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों के लिए धुरी और उनके अस्तित्व व कार्य करने वाले आवश्यक है।
- 21वीं सदी में बिजली हर इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है लेकिन यह कोई विलासिता की वस्तु नहीं है।
- बिजली को मौलिक अधिकार यानी जीने के अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- अब सरकार बिजली वितरण का निजीकरण करके सभी को बिजली प्रदान करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेना चाहती है।
- निजी लाभ एक बुनियादी आवश्यकता का उद्देश्य नहीं हो सकता।
- इस विधेयक सं. 187/2022 के उद्देश्यों और कारणों की कथन सूची बिल के पक्ष में समर्थन जीतने के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भ्रामक है और इसके अलावा यह केवल सतही है।
- जबकि इसके विपरीत रूप में इस विधेयक में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं जो सरकारी वितरण कंपनियों के अप्रत्यक्ष निजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगें।
- एक वितरण लाइसेंसधारी से कई वितरण लाइसेंसधारियों के रूप में प्रतिमान बदलाव।
- लाइसेंस प्रदान करने के लिए मानदंड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा अर्थात राज्य सरकारों/ राज्य नियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण व सीधा उल्लंघन।
- डीम्ड लाइसेंसिंग! अर्थात यदि उपयुक्त आयोग द्वारा समय के भीतर आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो आवेदक को बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया माना जाएगा। अपनी तरह का पहला प्रयोजन!
- निजी वितरण कंपनियां अपनी पसंद के 'आपूर्ति के क्षेत्र' के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कर सकती हैं जो कि नगर परिषद या निगम या राजस्व जिला या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक छोटा/बड़ा क्षेत्र हो सकता है।
- सोचें कि यह उपभोक्ता की पसंद है या आपूर्तिकर्ता की पसंद?
- बिजली उपभोक्ताओं को विकल्प देना बिल के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भ्रामक है।
- उपभोक्ता को लाभ के फर्जी दावे; सस्ती बिजली; निर्बाध बिजली।
- धारा 61 (जी) कह रही है कि "बिजली का टैरिफ बिजली की आपूर्ति के लिए किए गए सभी विवेकपूर्ण लागतों की वसूली करेगा।
- इससे बिजली की प्रति यूनिट कीमत एक नए आसमान पर पहुंच जाएगी और प्रति यूनिट न्यूनतम कीमत 8 रु से 10 रु होगी।.
- असफल प्रयोग; भारत और दुनिया भर में; अब पूरे देश में इसका अनुकरण करने की परिकल्पना की जा रही है, जो विनाशकारी और ऐतिहासिक विफलता होगी।
- धारा 61 (जीए) कह रही है कि "टैरिफ की दरों के माध्यम से नियामक आयोग द्वारा क्रॉस सब्सिडी को निर्दिष्ट तरीके से कम किया जायेगा।"
- सब्सिडी/क्रॉस सब्सिडी में कमी/समाप्ति से समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों जैसे गरीब और किसान को बहुत नुकसान होगा।
- प्रति यूनिट मूल्य के विभिन्न स्लैब धीरे-धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे और देश के गरीबों और बड़े अमीरों के बीच बिजली कीमत को बराबर कर दिया जाएगा।

- देश के किसानों ने इस बिल के वास्तविक प्रभाव को समझा और अपने पूरे ऐतिहासिक संघर्ष में इस बिल का जमकर विरोध किया लेकिन अब भारत सरकार ने उनसे किए गए वादे के अनुसार उनसे परामर्श करने की भी परवाह नहीं की है।
- बिना निवेश के केवल लाभ; निजी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वितरण अधोसंरचना सृजित करने में कोई निवेश नहीं करना होगा; केवल इसके उपयोग के लिए मामूली शुल्क देना पड़ेगा यानी व्हीलिंग शुल्क।
- राज्य डिस्कॉम को अपने प्रतिस्पर्धी को अपने बुनियादी ढांचे की पेशकश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है!
- प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक भावना के घोर उल्लंघन में घातक झटका!
- रखरखाव, नुकसान और नेटवर्क विकास पर खर्च करने की जिम्मेदारी राज्य डिस्कॉम की होगी; जबकि निजी वितरकों पर उनके द्वारा बेची गई बिजली पर केवल लाभ कमाने का भार डाला जा रहा है।
- बिना किसी प्रयास के शुद्ध मुनाफा ; निजी वितरकों के लिए बहुत फायदेमंद है।
- भगौड़ा होने से रोकने के लिए कोई नियमगत बाधा नहीं; निजी वितरण कंपनी बिजली क्षेत्र में पिछले उदाहरणों की तरह अपने लिए उपयुक्त पाए जाने पर रातोंरात भाग सकती है।
- धारा 176 (2) (एसी) धारा 14 के खंड (बी) के तहत व्यापार क्षेत्र के लिए पात्रता मानदंड तय करने और अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति देती है, जो लाइसेंस देने के लिए है।
- नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) यह सुनिश्चित करेगा कि "... कोई भी बिजली अनुसूचित या प्रेषित नहीं की जाएगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुबंधों के तहत भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई हो।"
- बिजली संविधान की 7वीं अनुसूची में है लेकिन केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से बिजली के मामले में निर्णायक शक्ति चाहती है जो देश के संघीय ढांचे के लिए अच्छा नहीं है।
- केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित बारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विरोध किया है, लेकिन उनके विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।
- केरल, तेलंगाना और पंजाब विधानसभाओं ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र से विधेयक को वापस लेने के लिए कहा है।
- सांठगांठ वाले पूंजीपतियों के फायदे के लिए संविधान की भावना को बदला जा रहा है!
- इस विधेयक को बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रचारित किया जाता रहा है, जबकि यह विधेयक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए मौत की घंटी की तरह होगा।
- शून्य निवेश के साथ बिजली वितरण के बहु-अरबों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके खुली लूट करने के लिए निजी खिलाड़ियों को लाल कालीन उपलब्ध करवाना प्रस्तावित किया गया है।
- यह मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण है।
- यह जन-विरोधी है; बढ़ी हुई दर, बढ़ा हुआ बिल, गांवों और दूरदराज के इलाकों में खराब सेवा। करोड़ों लोग बिजली से वंचित रहेंगे।
- यह असामाजिक है; लोगों के पैसे से बनी लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति का विनाश और बिक्री और सरकारी क्षेत्र में भविष्य के रोजगार को समाप्त करना।
- यह संघीय विरोधी है; केंद्र सरकार निर्णायक केंद्रीकृत शक्ति चाहती है, और वस्तुतः बिजली के विषय को समवर्ती से केंद्रीय सूची में स्थानांतरित करना चाहती है।
- यह कर्मचारी विरोधी है; 15 लाख नियमित और 12 लाख ठेका कर्मियों का रोजगार खतरे में होगा।
- यह राष्ट्र-विरोधी है; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनाज भंडार और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

इसलिए देशवासी आएं और इससे लड़ने के लिए हाथ मिलाएं।

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति

AIPEF AIPF AIFEE AIFOPDE EEFI INEWF TNEBPWU